



## प्रेस नोट

दिनांक 23.04.2021

### थाना गजरौला पुलिस द्वारा मोबाइल लूट की घटना को अंजान देने वाले यूट्यूबर सहित 02 शातिर लूटेरे मय लूटे 09 मोबाइल, अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमति सुनीति पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री सतेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना गजरौला पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.04.2021 को कस्बा गजरौला व आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल फोन की लूट करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.04.2021 की रात्रि करीब 10 बजे कस्बा गजरौला के इन्द्रा चौक से घर वापस आते वक्त वादी मनीश कुमार पुत्र बलजीत निवासी मौ0 सुल्तान नगर कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा का पीछे से आये अज्ञात मोटर साइकिल सवार व्यक्ति द्वारा हाथ से झपट कर फरार हो जाने व उसी दिन शाम करीब 9 बजे शुभम रस्तौगी पुत्र पंकज कुमार कार्यकारी सहायक मीटर कार्यालय गजरौला का भी फोन लूट लेने के सम्बन्ध में थाना गजरौला पर मु0अ0स0 249/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया । कस्बा गजरौला में 02 मोबाइल लूट की घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती सुनीति द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना गजरौला को उक्त दोनों घटनाओं के सफल अनावरण व बाइक सवार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।

इसी क्रम मे आज दिनांक 23.04.2021 को थाना गजरौला पुलिस द्वारा सूचना पर मझौला वाले तिरहे से उक्त लूट की घटनाओं में प्रकाश में आये स्पलैन्डर प्रो मोटर साइकिल पर सवार 02 अभियुक्त 1. अंकुल उर्फ अंकुर पुत्र ब्रह्मपाल व 2. आशीष पुत्र भोपाल सिंह को मय 1-1 अवैध चाकू व लूट हुये 09 मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना गजरौला पर मु0अ0स0 267/2021 धारा 41/102 द0प्र0सं0 413 भादवि, मु0अ0स0 268 /21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम अंकुल उर्फ अंकुर व मु0अ0स0 269/21

धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम आशीष के विरुद्ध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।



### पुछताछ विवरण:-

पुछताछ पर अभियुक्त आशीष ने बताया कि वह **यूट्यूबर** है और सोशल मीडिया एप्प यूट्यूब पर कॉमेडी/अन्य तरह की विडियो अपलोड करता रहता हूं। मैं और मेरा साथी अंकुल पैसे कमाने हेतु मोटर साइकिल पर सवार होकर गजरौला, धनौरा व आसपास के क्षेत्रों में सडक पर चलते राहगीरो को डरा धमकाकर व पीछे से झपटकर उनके मोबाइल फोन को छीन लेते थे और उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। **हम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के लिय एक महंगा DSLR कैमरा कीमत करीब 01 लाख रुपयों का लेना था, जिस वजह से हम मोबाइल लूट की घटनाओं का अंजाम देते थे। आज इन लूटे हुए मोबाइल फोन को बेचने कस्बा गजरौला आ रहे थे कि गजरौला पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये।**

### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अंकुल उर्फ अंकुर पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम ईश्वर देवा थाना बछरायूं जनपद अमरोहा।
2. आशीष पुत्र भोपाल सिंह निवासी ग्राम ईश्वर देवा थाना बछरायूं जनपद अमरोहा।

### बरामदगी:-

1. लूटे हुए 09 मोबाइल VIVO, MI, REALME, TECHNO, SAMSUNG, POCO Etc।
2. 01-01 अवैध चाकू।
3. घटना मे प्रयुक्त स्पलैन्डर प्रो मोटर साइकिल रजि0न0 UP14 BV 6845।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकुल उर्फ अंकुर :-

1. मु0अ0स0 249 /21 धारा 392 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
2. मु0अ0स0 267/2021 धारा 41/102 द0प्र0सं0 413 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
3. मु0अ0स0 268/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त आशीष:-

1. मु0अ0स0 249 /21 धारा 392 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
2. मु0अ0स0 267/2021 धारा 41/102 द0प्र0सं0 413 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
3. मु0अ0स0 269/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रामप्रसाद शर्मा थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री रजनीश कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. का0 696 मोहित कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
4. का0 1144 यशवीर सिंह थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
5. का0 770 हिलाल थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

